FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलेक्टर, सीकर

बद्रीप्रसाद **बनाम** **राजवीर यादव, RAS, (SDO नीमकाथाना) आदि**

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण (मुंतकिली) **मुकदमा नम्बर – 23 /2026**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.2026	प्रार्थी **बद्रीप्रसाद** की ओर से वकील **श्री सागरमल धायल** ने उपस्थित होकर यह **प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण (मुंतकिली) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना में विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण संख्या 158/2008 बउनवानी नाथूराम बनाम रामोवतार आदि को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु** पेश किया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। पत्रावली को दर्ज किये जाने के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया है। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि, उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के यहां भूमि खसरा नम्बर 868/2, 870, 871 किता 3 कुल रकबा 4.02 हैक्टेयर ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर स्थित है। उक्त भूमि की सिंचाई चाह खसरा नम्बर 869 से होती आयी है। प्रार्थी व उनके मृतक भाई नाथूराम ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 868/2, 870, 871 किता 3 कुल रकबा 4.02 हैक्टेयर वाके ग्राम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर के सम्बन्ध में वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था, जो कि जेर तजबीज है। अप्रार्थी संख्या 10 किशोरीलाल एक होशियार व चतुर चालाक व्यक्ति है, जिसके हरिनारायण जांगिड़ निवासी जस्सीकाबास से काफी नजदीकी एवं आत्मीय रिश्ता है। दिनांक 17.03.2026 को प्रार्थी अपने मुकदमें की पैरवी हेतु न्यायालय में स्वयं गया हुआ था, तो अप्रार्थी किशोरीलाल व हरिनारायण जांगिड को उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के चैम्बर से निकलते हुए स्वयं प्रार्थी ने देखा व प्रार्थी उनके पीछे–पीछे धीरे–धीरे चलने लगा तो हरिनारायण जांगिड ने अप्रार्थी संख्या 9 से कहते सुना कि अब आगामी पेशी पर आपके पक्ष में फैसला हो जावेगा। इतना ही नही अप्रार्थी ने दो तीन रोज से गांव में खुले रूप से कहना शुरू कर दिया है कि न्यायालय से फैसला उनके पक्ष में जल्दी ही हो जायेगा। इस कारण से प्रार्थी को पूर्ण भय व आशंका हो गयी है, कि प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना से कतई न्याय नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में उक्त पत्रावली मु.नं. 158/2008 को श्रीमान तलब कर स्वयं सुनवायी करें या किसी निष्पक्ष अधिकारी के यहां पत्रावली स्थानान्तरित की जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। **हमने वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया।** **Contd...**	

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम् जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित है कि, प्रश्नगत राजस्व वाद प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में सन् 2008 में प्रथम बार दर्ज होकर दिनांक 28.05.2012 को निस्तारित कर दिया गया था। उसके बाद से ही पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत विभिन्न प्रकार के आवेदनों की सुनवायी के लिए उक्त प्रकरण बार–बार नम्बर पर लिया गया एवं वर्तमान में विचाराधीन है। प्रश्नगत वाद की आदेशिकाओं से प्रमाणित है कि प्रकरण काफी अर्सा पुराना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान को सुनवायी के समुचित एवं पर्याप्त अवसर भी दिये गये हैं। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरीण पत्रावली की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि, प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त विवादित वाद पत्रावली में ऐसी कोई विपरीत कार्यवाही किया जाना जाहिर नहीं आया है जिससे कि पत्रावली पर की गई कार्यवाही विधि के विरूद्ध प्रतीत हो। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ ऐसा कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रश्नगत वाद की पत्रावली में की गई कार्यवाही नियमानुसार अथवा विधिक रूप से नहीं किया जाना प्रतीत होता हो। पत्रावली को दर्ज किये जाने के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया है, जिसके दौरान भी वकील प्रार्थी द्वारा अपने मुंतकिली आवेदन एवं पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों के समर्थन में कोई साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार मात्र कयासों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों को यह न्यायालय उचित नहीं समझता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को मात्र विलम्बित किये जाने की गरज से पेश किया जाना प्रतीत होता है। फिर भी पक्षकारान एवं आमजन का न्याय के प्रति विश्वास बना रहे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाना भी उचित प्रतीत होता है। चूंकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान एवं राजस्थान सरकार के द्वारा भी समय–समय पर परिपत्र एवं दिशा निर्देश जारी किये जाकर राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण मुख्यतः पुराने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण बाबत निर्देश दिये जा रहे हैं। उक्त निर्देशों की पालना में राजस्व न्यायालयों में पदस्थापित पीठासीन अधिकारियों द्वारा विचाराधीन राजस्व प्रकरणों में नियमित सुनवायी की जाकर नियमानुसार प्रकरणों को निस्तारित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन काफी बार ऐसा देखने में आया है कि पक्षकारान मात्र अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए न्याय की भावना के विरूद्ध प्रकरणों को लम्बित किये जाने के उद्देश्य से सक्षम न्यायालयों में मुंतकिली आवेदन पेश कर प्रकरणों के निस्तारण को विलम्बित किये जाने का प्रयास करते हैं, जो कि न्याय की मंशा के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार के कृत्यों को यह न्यायालय बिल्कुल न्यायोचित नहीं मानता है। **Contd...**	

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम् जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस आवेदन को आगे चलाये जाना उचित एवं न्यायोचित नहीं मानता है। प्रार्थी बद्रीप्रसाद की ओर से जरिये वकील प्रस्तुत यह **प्रार्थना पत्र मुन्तकिली दर्ज कर खारिज किया जाता है।** पक्षकारान एवं आमजन का न्याय के प्रति विश्वास बना रहे इसलिए **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन उक्त विवादित राजस्व वाद प्रकरण संख्या 158/2008 बउनवानी नाथूराम बनाम रामोवतार आदि में उभयपक्षकारान को दस्तावेज एवं जवाब आदि प्रस्तुत करने तथा सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (आशीष मोदी) **जिला कलेक्टर, सीकर** जिला कलेक्टर, सीकर	

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)